2020 दिनांक 06.02.2020 को अधोहस्ताक्षरकर्ता भ्रमण निरीक्षण रा‍ि विश्राम कार्यक्रम के दौरान उक्त पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा चा‍ गये रास्ते का सम्बंधित पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक तथ नायब तहसीलदार हनुमानगढ़ के साथ मौका निरीक्षण किय गया। दौराने मौका निरीक्षण पाया कि प्रार्थीगण के पास अपन‍ी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध है वह उर्स‍ी आराजी के लिये मात्र सुविधा हेतु अन्य रास्ते की मांग कर रहा है जो कि उचित नहीं है।

चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन होते हुये अन्य सुविधाजनक रास्ते की मांग की गई है जो न्यायोचित न होने के कारण रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग अनुचित होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.02.20 16:57:26 IST
Reason: SelfAttested